न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्याः 3191 / 1022 / 2014 दिनांकः– 20.09.2016

के मामले में

श्री ब्रिजेन्द्र सिंह, D350
उ.क्षे.स. / प्रोग्रामर,
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
भारतीय जीवन बीमा निगम,
शाखा – सहसवान
ईमेल– <vijendra_singh10@licindia.com> ..... शिकायतकर्ता

बनाम

अध्यक्ष,
भारतीय जीवन बीमा निगम, D351
केन्द्रीय कार्यालय,
'योगक्षेम' जीवन बीमा मार्ग,
पे.बो. नं. 19953, नरीमन प्वाइंट,
मुम्बई–400021 ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 26.07.2016
उपस्थितः
1. श्री बिजेन्द्र सिंह, शिकायतकर्ता ।
2. श्री एस.बी.एल. हन्स, प्रबन्धक, प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, जोकि 40 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति है, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत स्थानान्तरण से संबंधित शिकायत दिनांक 26.11.2014 इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि वे अनुसूचित जाति से संबंधित विकलांग कर्मचारी हैं । भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उन्हें वर्ष 2015 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी (प्रोग्रामर) संवर्ग में पदोन्नति दी गई तथा बरेली मण्डल आवंटित किया गया जोकि उनका निवास स्थान है । उनका कहना है वे एक अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग खिलाड़ी हैं और देश के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कर रहे हैं । बरेली मण्डल में

....2 / –

बरेली ही ऐसा शहर है जहां वे अपने परिवार की देखभाल के साथ कार्यालय और खेलों के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम की गरिमा को और उज्जवल कर सकते हैं । मण्डल कार्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में AMC Payment, Inventory के महत्वपूर्ण कार्य के साथ HI, MI व Ulip के कार्य सम्पादित कर रहे हैं । अतः पदोन्नति पर उनकी नियुक्ति स्थानीय अथवा यथावत रखी जाए ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 12.01.2015 के द्वारा उठाया गया । इसके पश्चात् दिनांक 15.04.2015 को एक स्मरण–पत्र भी जारी किया गया ।

4. प्रतिवादी ने अपने पत्र कमांक उ.म.क्षे.का./कार्मिक/डेस्क–1 दिनांक 20.06.2015 द्वारा सूचित किया कि शिकायतकर्ता श्री बिजेन्द्र सिंह के स्थानान्तरण के संबंध में वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, बरेली, जोकि इस विषय में सक्षम अधिकारी भी हैं, से आख्या मांगी गई थी एवं उन्होंने अपनी आख्या देते हुए सूचित किया है कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी (प्रो.) पद हेतु दो रिक्तियां कमशः कार्यालय सहसवान व वृत्तिक अभिकर्ता शाखा, शाहजहांपुर में उत्पन्न हुई थीं,जिसमें श्री ब्रिजेन्द्र सिंह को बरेली से शाखा कार्यालय सहसवान एवं अन्य अधिकारी श्री सुखदेव को बरेली से वृत्तिक अभिकर्ता शाखा शाहजहांपुर में पदोन्नति पर पदस्थापित किया गया । दोनों ही रिक्तियां बरेली से लगभग समान दूरी पर स्थित हैं । यह भी सूच्य हो कि श्री ब्रिजेन्द्र सिंह द्वारा उक्त शाखा सहसवान में दिनांक 23.02.2015 को पदभार ग्रहण कर लिया गया है । उपरोक्त आख्या से प्रतीत होता है कि श्री ब्रिजेन्द्र सिंह का स्थानान्तरण नियमों के अनुसार किया गया है एवं इस आलोक में उक्त शिकायत को बन्द करने की अनुशंसा की जाती है ।

5. प्रतिवादी से प्राप्त उत्तर दिनांक 20.06.2015 की प्रति शिकायतकर्ता को इस न्यायालय के पत्र दिनांक 01.09.2015 को उनके टिप्पण/रिज्वाइंडर हेतु प्रेषित की गई थी ।

6. शिकायतकर्ता ने अपनी ईमेल दिनांक 26.10.2015 द्वारा सूचित किया कि उनके एनसीज़ेड ज़ोनल मैनेजर ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है क्योंकि उन्होंने यह दर्शित नहीं किया है कि मैं 40 प्रतिशत अस्थिबाधित विकलांग कर्मचारी और एक अंतरराष्ट्रीय टेबिल टेनिस खिलाड़ी हू । मैंने मलेशिया, थाइलैंड और चीन

....3/–

में अंतरराष्ट्रीय स्तर आयोजित पांच खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है । मैंने प्रोन्नति पर सहसवान में 23.02.2015 को एक अत्यन्त विकट स्थिति में कार्यभार ग्रहण किया था । यदि मैं कार्यभार ग्रहण नहीं करता तो वे मेरी प्रोन्नति रद्द कर देते । मैं यहां अत्यन्त कठिनाईयों का सामना कर रहा हूं और अपने उच्च प्रबंधमण्डल को बरेली स्थानान्तरण के लिए कई बार अनुरोध कर चुका हूं । साधारण अभ्यर्थी श्री सुखदेव का पदस्थापन सीएबी–शाहजहांपुर किया गया जोकि रेलवे लाइन पर है । बरेली से शाहजहांपुर का सफर केवल एक घंटे का है जबकि मेरी पदस्थापना सहसवान में है जिसके आने जाने में सात घंटे लगते हैं । मैं एक उत्तरदायी अधिकारी हूं और मेरा कार्य समय 7–8 घंटे प्रतिदिन का है । विकलांग कर्मचारी होने के नाते भारतीय जीवन बीमा निगम ने मुझे प्रोन्नति देरी से दी है क्योंकि विकलांग कर्मचारियों की पदस्थापन की समस्या है । भारतीय जीवन बीमा निगम सरकारी परिपत्रों का पालन नहीं कर रहा है जबकि मुझे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने और एक राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता होने के नाते बिना पारी प्रोन्नति देनी चाहिए थी । ऐसे गैर–जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए और मेरा स्थानान्तरण बरेली किया जाए । मैं कष्ट भोग रहा हूं । मेरा परिवार बरेली में रहता और मुझे आगामी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं की तैयारी के लिए समय और सुविधा चाहिए ।

7. इसके पश्चात् शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 14.12.2015 द्वारा निवेदन किया कि वे अनुसूचित जाति से संबंधित विकलांग कर्मचारी हैं । उन्होंने विषम परिस्थितियों में दिनांक 23.02.2015 को रिमोट शाखा – सहसवान में प्रोन्नति (एएओ/प्रोग्राम. संवर्ग) पर ज्वाइन किया था । उनके शाखा में ज्वाइन करने से पूर्व ही इस न्यायालय का आदेश भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए दिनांक 12.01.2015 को पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि शिकायतकर्ता की नियुक्ति संवैधानिक नियमों के तहत की जानी है तथा शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाए । शिकायतकर्ता ने अपने वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक को इस न्यायालय के संदर्भ में सूचित किया परन्तु उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया । मजबूरीवश उन्हें शाखा सहसवान में ज्वाइन करना पड़ा । बरेली से सहसवान तक ट्रेन सुविधा नहीं है तथा सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा है । उन्हें अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । वे अपनी डयूटी के साथ भी पूर्ण न्याय नहीं कर पा रहे हैं । वे एक

...4/–

अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और उन्होंने टेबिल टेनिस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व मलेशिया, चीन व थाइलैण्ड देशों मे किया है । भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उनके अन्तरराष्ट्रीय कैरियर को ध्यान में रखते हुए उन्हें नियुक्ति प्रदान नहीं की गई । परिवार में छोटे बच्चे व वृद्ध मां है । अतः उनका स्थानान्तरण शीघ्रातिशीघ्र बरेली कराने की कृपा करें ।

8. प्रतिवादी के पत्र दिनांक 20.06.2015 एवं शिकायतकर्ता की ई—मेल दिनांक 26.10.2015 तथा पत्र दिनांक 14.12.2015 के मद्देनज़र मामले की सुनवाई दिनांक 26.7.2016 को निर्धारित की गई ।

9. दिनांक 26.07.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उनकी विकलांगता 40 प्रतिशत है । वे पिछले डेढ़ वर्ष से सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रोग्रामर के पद पर सहसवान शाखा में पदस्थापित हैं । वे बरेली में पोस्टिंग चाह रहे हैं क्योकि उनका परिवार बरेली मे हैं । एक अंतरराष्ट्रीय विकलांग खिलाड़ी होने के नाते उन्हें बरेली में सभी सुविधाएं प्राप्त हैं । सहसवान उनके घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है । वहां रेलवे लाइन नहीं है । सड़क पर भी निर्माण कार्य चल रह है । अतः उनका स्थानान्तरण बरेली में कर दिया जाए ।

10. भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से उपस्थित होने वाले प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि शिकायतकर्ता ने निगम में दिनांक 15.12.1993 को अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी तथा बरेली में 14.09.2014 तक 10 वर्ष 9 मास तक पदस्थापित रहे । उनकी पदोन्नति पर शाखा कार्यालय, शाहजहांपुर में 15.09.2004 से 10.10.2006 तक रहे तथा वापस बरेली में 11.10.2006 से 22.02.2015 तक बने रहे । सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रोग्रामर के पद पर प्रोन्नति पर शाखा कार्यालय, सहसवान में दिनांक 23.02.2015 को कार्यभार ग्रहण किया । उनकी पदस्थापना बरेली नहीं की जा सकी क्योंकि बरेली में इस पद पर पदोन्नति हेतु कोई रिक्ति नहीं थी । मात्र शाखा शाहजांपुर एवं सहसवान में रिक्ति होने के कारण उनकी पदोन्नति पर पदस्थापना शाखा सहसवान की गई । श्री ब्रिजेन्द्र सिंह कुल 22 वर्ष 7 मास की सेवा पूरी कर चुके है, जिसमें से लगभग 19 वर्ष बरेली में पदस्थापित रहे हैं ।

.....5/—

विकलांग होने के बावजूद ये विभिन्न खेलों/प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे हैं, जिसके लिए निगम द्वारा उन्हें नियमानुसार अवकाश प्रदान किए जाते रहे हैं । निगम द्वारा उनकी विकलांगता को दृष्टिगत करते हुए उनकी सुविधानुसार पदस्थापना का हरसंभव प्रयास किया जाता रहा है । श्री ब्रिजेन्द सिंह के बरेली स्थानान्तरण पर विचार बरेली में सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रोग्रामर पद पर रिक्ति होने पर किया जा सकेगा ।

11. दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज़ों का परिशीलन करने के पश्चात् मामले में अधिनियम के किन्हीं उपबंधों अथवा सरकारी निर्देशों का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता । फिर भी, चूंकि भारतीय जीवन बीमा निगम में वार्षिक स्थानान्तरण प्रक्रिया चल रही है, इसलिए प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे शिकायतकर्ता के स्थानान्तरण के अनुरोध पर वित्तीय सेवाएं विभाग, वित मंत्रालय के पत्र संख्या 3/13/2014–वैलफेयर दिनांक 18.11.2014 के प्रकाश में विचार करें । मामले में अनुपालना रिपोर्ट इस न्यायालय को 30 दिनों के भीतर भेजी जाए ।

12. मामले का तदनुसार निपटारा किया गया ।

(कमलेश कुमार पाण्डे)
मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन

मूल प्रति पर नहीं :.
प्रतिलिपिः– रिकार्ड फाइल ।